संख्या- 560 /44-1-2013-94/2010

प्रेषक,

वीरेन्द्र प्रताप सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के
प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव ।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 12 जुलाई, 2013

विषय :— सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के सेवकों को देय यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता की दरों का पुनरीक्षण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के सेवकों को देय यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता की दरों को संशोधित करने की निगमों/उपक्रमों की मांगों पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-2298/चौवालिस-1/88-11 उ0वे0रि0/88, दिनांक 31 जनवरी 1989 तथा इसके बाद समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा प्रभावी यात्रा/दैनिक भत्ता की दरों एवं व्यवस्था को प्रस्तर-2/3 में उल्लिखित शर्तो के अधीन निम्नप्रकार से पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) ऐसे सार्वजनिक उपक्रम/निगम, जहाँ दिनांक 01.01.1996 से पंचम वेतनमान की संस्तुतियाँ लागू हैं, वहाँ वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-सा-4-395/दस-99-600-99, दिनांक 11 जून, 1999 के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता की दरों को संशोधित कर दिया जाये ।

(2) ऐसे उपक्रम / निगम, जहाँ 1.1.06 से छठे वेतनमान की संस्तुतियाँ लागू है वहाँ वित्त(सामान्य) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-जी-2-175/दस-2011-601-2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 के अनुसार यात्रा /दैनिक भत्ता की दरों को संशोधित कर दिया जाये ।

(3) ऐसे उपक्रम/ निगम, जहाँ अभी 01.01.1986 से लागू चतुर्थ वेतनमान की संस्तुतियाँ ही लागू है वहाँ पर पूर्व व्यवस्था (शासनादेश,दिनांक 31 जनवरी,1989) यथावत् लागू रहेगी ।

2. यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता की उपर्युक्त पुनरीक्षित दरे एवं व्यवस्था इस शर्त के अधीन लागू की जाय कि सार्वजनिक निगम / उपक्रम से संबंधित प्रशासनिक विभाग परीक्षण कर लेंगे कि संबंधित निगम / उपक्रम अतिरिक्त व्ययभार को खुद वहन करने में सक्षम है और सक्षम स्तर (विभागीय मंत्री) का अनुमोदन प्राप्त कर आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू कर सकते है ।

3. उक्त यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता की दरों को संशोधित करने के फलस्वरुप आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को संबंधित उपक्रम/निगम अपने श्रोतों से स्वयं वहन करेंगें एवं इसमें शासन से कोई अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी ।

4. कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी (2)541/दस/13, दिनांक 04 जुलाई, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(वीरेन्द्र प्रताप सिंह)
सचिव ।

पृ0सं0 560 (1)/44-1-2013-94/2010 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा)द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ ।
3. वित्त वेतन आयोग अनुभाग-1/2 ।
4. वित्त सामान्य अनुभाग-2
5. संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम व्यूरो,जवाहर भवन,लखनऊ को वेबसाइट पर डालने हेतु ।
6. महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम व्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2/सार्वजनिक उद्यम विभाग,आडिट प्रकोष्ठ वाणिज्यिक।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(सुधा श्रीवास्तव)
अनु सचिव।